

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्थापना/ख/674/46

भोपाल दिनांक

19/01/2026

// आदेश //

मण्डी बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक/स्थापना/ख/674/1908-1909 दिनांक 16.10.2025 द्वारा मंडी /उपमंडियों में सोयाबीन भावान्तर भुगतान योजना के सुचारू संचालन हेतु सोयाबीन की अत्यधिक आवक होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मण्डियों में पदस्थ अमले की कमी की पूर्ति हेतु आवश्यकता का आंकलन कर भावान्तर भुगतान योजना की अवधि तक के लिये अधीनस्थ संभाग की मंडियों के कर्मचारियों को अन्य मंडियों में कार्य करने के लिये निर्देशित करने हेतु संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालयों को अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 16.10.2025 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। भावान्तर भुगतान योजना अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप आंचलिक कार्यालयों के अधीनस्थ मंडियों में कार्य करने के लिये मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय स्तर से आदेशित किये गये कर्मचारियों को तत्काल मूल मंडी में वापिस करें।

साथ ही, आंचलिक कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ मंडियों में कार्य करने के लिए आदेशित किये और वापिस किये गए कर्मचारियों, सूची सहित जानकारी दिनांक 21.01.2026 तक मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Anurag Saxena

Date: 16-01-2026

16:37:52

(अनुराग सक्सेना IAS)

अपर संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल

क्रमांक/स्थापना/ख/674/47

भोपाल दिनांक

19/01/2026

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निज सहायक, सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2 निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 3 संयुक्त/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)।
- 4 भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति..... (समस्त)।
- 5 आदेश नस्ती/समस्त शाखा।

अपर संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल